न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– 145/2024 **GCMS 2024/314**

प्रार्थीगणः–

1. रतनी देवी पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश उर्फ कचरूराम, जाति जांगिडत्र ब्राह्मण निवासी ग्राम पलाड़ा हाल निवासी ग्राम अड़कसर तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
2. बजरंग उर्फ रामचंद्र जांगिड़ पुत्र

अप्रार्थीः–

1. भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत् त्रुटिपूर्ण दर्ज नाम में संशोधन करने अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री ऋषभ शर्मा प्रार्थी की ओर से।
राज. पैराकार उपस्थित।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 12/05/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मंडावरा के खसरा नंबर 206 कुल रकबा 0.67 है. में प्रार्थीगण की कब्जाशुद्धा, खातेदारीशुद्धा की कृषि भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/48–1/48 वां हिस्सा है। जिसकी खतौनी नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। जो कि प्रार्थीगण को अपने ससुर/दादा श्योकरण की मृत्युपरांत जरिये विरासत रूपरूप आई हुई है। प्रार्थीगण के पति/पिता ओमप्रकाश उर्फ कचरूराम का देहांत पूर्व में ही हो चुका था। जिसके कारण उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के ससुर/दादा के मृत्युपरांत विरासतन दर्ज हुई है। जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम कचरूराम के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज कर दिया गया व प्रार्थी सं. 2 का नाम रामचंद्र गलत प्रविष्ट दर्ज हुई है। प्रार्थीगण के पति/पिता कचरूराम की मृत्यु लगभग 25–30 वर्ष पूर्व हो गई थी। जिनका मृत्यु प्रमाण [illegible] कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है व अन्य सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम कचरूराम ही दर्ज रहा है। जो सही व सत्य है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी सं. 2 का नाम समस्त अधिकारिक दस्तावेजी में रामचंद्र जांगिड़ पुत्र कचरूराम ही दर्ज है। जो सही व मान्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड की प्रति संलग्न है। ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा प्रार्थीगण के पिता ओमप्रकाश उर्फ कचरूराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने बाबत् व प्रार्थी सं. 2 के स्वयं के नाम बजरंग उर्फ रामचंद्र जांगिड़ होने बाबत् दो अलग–अलग प्रमाण पत्र भी जारी किये गये हैं। जिनकी प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थीगण ने सरकारी सहायता प्राप्त करने बाबत् उपरोक्त खसरा नंबर की जमाबंदी की नकल निकलवाई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पति/पिता का नाम गलत दर्ज है व प्रार्थी सं. 2 का नाम भी गलत दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त त्रुटि के सुधार बाबत् जब अप्रार्थी सं. 1 के पास गये तो उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सही करने से इंकार कर दिया। प्रार्थीगण के पति/पिता व प्रार्थी सं. 2 के स्वयं का नाम जमाबंदी में गलत इंद्राज होना, *राजस्व कर्मचारियों की गलती है। जिसका खामियाजा प्रार्थीगण को बेवजह* भुगतना पड़ रहा है जिस कारण श्रीमान के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। राजस्व विभाग राज. ग्रुप–6 विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक 5(8) राज–6197/6 दिनांक 09.06.2009 में उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने एवं अभिलेख को आज दिनांक त्रुटिरहित संधारित करना राजस्व अधिकारियों का परम दायित्व निर्धारण किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधि/भूमिधारी व भूअभिलेख अधिकारी होने से मुख्य अनुतोष उन्हीं से चाहा गया है। इस कारण बतौर आवश्यक पक्षकार प्रार्थना पत्र में संयोजित किया गया है तथा अन्य सहखातेदारों द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए उन्हें प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। राजस्व ग्राम पलाड़ा के खसरा नंबर 206 में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम ओमप्रकाश जो कि त्रुटिपूर्ण दर्ज है कि स्थान पर सही व सत्य व आधिकारिक नाम कचरूराम व प्रार्थी सं. 2 का नाम बजरंग जो कि त्रुटिपूर्ण दर्ज है के स्थान पर सही सत्य व आधिकारिक नाम रामचंद्र जांगिड़ दर्ज किये जाने को आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व राजपैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में कब व किस राजस्व संक्रिया के दौरान अशुद्ध दर्ज हुआ है के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे साबित हो कि प्रार्थीगण का नाम पूर्व के राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज था। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:57 IST
Reason: SelfAttested